

## विधान सभा सचिवालय

### अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

**संख्या: वि०स०-लैज-गवर्नमेंट बिल/1-61/2012.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 43) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

**2012 का विधेयक संख्यांक 43**

### भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012 है। संक्षिप्त नाम।
  2. हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में, उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1-A के स्थान पर इस अधिनियम में इसके पश्चात् उपाबद्ध अनुसूची रखी जाएगी। अनुसूची 1-A का प्रतिस्थापन।
  3. (1) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 तथा भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1991 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। निरसन और व्यावृत्तियां।
- 1976 का 37  
1978 का 19  
1991 का 11
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

## अनुसूची 1-क

### कतिपय लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें

टिप्पणः— अनुसूची 1-क में अनुच्छेद इस प्रकार संख्यांकित है ताकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से उपाबद्ध अनुसूची I में वस्तुओं जैसे हों

अनुच्छेद संख्या	लिखतों का विवरण	स्टाम्प शुल्क की दरें
1.	<b>अभिस्वीकृति</b> , किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रूपए से अधिक की, जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से, किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो:	दस रूपए।
	परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।	
2.	<b>प्रशासन-बन्धपत्र</b> , सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 29, 375 और 376 के अधीन दिए गए बन्धपत्र सहित—	एक सौ रूपए।
	प्रत्येक मामले में।	
3.	<b>दत्तक विलेख</b> , अर्थात् कोई लिखत वसीयत (विल) से भिन्न जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।	एक सौ रूपए।
	<b>अधिवक्ता</b> , अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।	
4.	<b>शपथ-पत्र</b> , जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में, जो शपथ लेने के बजाए प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।	दस रूपए।

### छूटें

लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब वह—

- (क) सेना अधिनियम, 1950; या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में हों;

(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या

(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए,

की गई है।

## 5. करार या करार का ज्ञापन,

यदि विनिमय-पत्र के विक्रय या सरकारी प्रतिभूति के पचास रूपए। विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में शेयर के विक्रय से सम्बंधित है; या उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

छूटें

करार या करार का ज्ञापन—

(क) जो अनन्यतः माल या वाणिज्या के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है, और संख्या 43 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;

(ख) जो केंद्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किए गए हैं जो किसी उधार के लिए हैं या उससे सम्बंधित हैं।

पट्टे के लिए करार, पट्टा (संख्या 35) देखें।

## 6. हक-विलेखों के निक्षेप; पण्यम् या गिरवी से सम्बन्धित करार, अर्थात् निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साक्षित करने वाली कोई लिखत—

ऐसे हक विलेखों या लिखतों का निक्षेप, जिससे किसी भी सम्पत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक का साक्ष्य हो जाता है; या जंगम सम्पत्ति का पण्यम् या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, पण्यम् या गिरवी, उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है। प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूट

माल के पण्यम् या गिरवी की कोई लिखत, यदि वह अननुप्रमाणित हो।

टिप्पण

आडमान का करार और स्टाम्प शुल्क का प्रश्न.—

आडमान के संव्यवहार और गिरवी रखने के संव्यवहार के मध्य भिन्नता है। क्योंकि गिरवी रखने के विपरीत, जहां गिरवी रखी गई वस्तुओं (माल) का कब्जा पण्यमदार को संक्रान्त होना चाहिए, वहां आडमान के मामले में ऐसा कब्जा लेनदार को ही संक्रान्त नहीं होता है। वर्तमान मामले में दस्तावेज बैंक के पक्ष में दो अधिकारों का सृजन करने के लिए है, अर्थात् पहला संपत्ति के आडमान से संबंधित तथा दूसरा अटर्नीशिप के सृजन से संबंधित, स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के अधीन दस्तावेज की बाबत 11.50 रूपए कुल स्टाम्प प्रभार्य थे। अतः दस्तावेज सम्यक् रूप से, गिरवी या पण्यम् न होते हुए, स्टाम्पित किया गया है परन्तु आडमान का करार होते हुए, जो स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) द्वारा, प्रतिवादी के अटर्नी के अधिकारों को वादी को वादी पर प्रदत्त करने वाली प्रसंविदा सहित, समाविष्ट है।

**पण्यम् या गिरवी का विलेख-** पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, और उसी तरह से, क्योंकि करार के खण्ड-6 को साधारणतया पढ़ने से भी प्रतीत होता है कि आडमान रखी वस्तुओं (माल) का कब्जा केवल ऋणी के पास ही रहना था, ऐसा होने से, यह विलेख स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 6(2) की रिष्टि को आकृष्ट करने के लिए पण्यम् या गिरवी का विलेख नहीं माना जा सकता है।

7. **मुख्तारनामा के निष्पादन में,** न्यासियों का नियुक्त किया एक सौ रूपए। जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत (विल) न हो, किया गया हो।
8. **आंकना या मूल्यांकन,** जो किसी वाद के अनुक्रम में पचास रूपए। न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जा कर अन्यथा किया गया है , प्रत्येक मामले में।

### छूटें

- (क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है;
- (ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना।
9. **शिक्षुता विलेख,** जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो जैसा अनुसूची-1 में है। किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति,

व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है किन्तु जो शिक्षता नियमावली (संख्या 11) नहीं है।

### छूट

शिक्षता—लिखत, जो शिक्षा अधिनियम, 1850 (1850 का 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षा रखा गया है।

#### 10. कंपनी के संगम—अनुच्छेद,

प्रत्येक मामले में।

दो सौ रूपए।

### छूट

किसी संगम के अनुच्छेद, जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाए गए हैं और जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं।

कंपनी का संगम ज्ञापन (संख्या 39) भी देखें।

#### 11. क्लर्कों की नियमावली

जैसा अनुसूची-1 में है।

समनुदेशन— यथास्थिति, हस्तान्तरण—पत्र (संख्या 23), अंतरण (संख्या 62) और पट्टे का अंतरण (संख्या 63) देखें।

अटर्नी—अटर्नी (संख्या 30) और मुख्तारनाम (संख्या 48) वाली प्रविष्टि देखें।

दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार— दत्तक—विलेख (संख्या 3) देखें।

#### 12. पंचाट.— अर्थात् वाद के अनुक्रम में, न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निदेश में, मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है,

ऐसे पंचाट में यथा उपवर्णित प्रत्येक रकम या सम्पत्ति के मूल्य के लिए।

#### 13. विनियम—पत्र।

जैसा अनुसूची-1 में है।

#### 14. वहन—पत्र, (जिसके अंतर्गत पारगामी वहन—पत्र आता है) जैसा अनुसूची-1 में है।

15. **बंध-पत्र**, जैसा धारा 2(5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेन्चर (संख्या 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। प्रतिभूत राशि का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

**प्रशासन-बंधपत्र** (संख्या 2), **पोत बंधपत्र** (संख्या 16), **सीमा शुल्क बंधपत्र** (संख्या 26), **क्षतिपूर्ति बंधपत्र** (संख्या 34), **जहाजीमाल बंधपत्र** (संख्या 56), **प्रतिभूति बंधपत्र** (संख्या 57) देखें।

### छूट

जब बंधपत्र किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए, तो इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय आय प्रति मास किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।

16. **पोत-बंधपत्र**, अर्थात् कोई लिखत, जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर, पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके। प्रतिभूत राशि का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
17. **रद्द कर देने की लिखत**, (जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है, जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्द कर दी गई है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। पचास रूपए।

**निर्मुक्ति** (संख्या 55), **व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण** (संख्या 58 क), **पट्टे का अभ्यर्पण** (संख्या 61), **न्यास का प्रतिसंहरण** (संख्या 64 ख) भी देखें।

18. **विक्रय-प्रमाणपत्र**, (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है। सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय धन का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यक्षीन जो भी अधिक हो तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
19. **प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज**, जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्षित करता है। दस रूपए।

20. **भाड़े पर पोत लेने की संविदा**, अर्थात् (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग, भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो। दस रूपए।
21. **चैक।** [\*\*\*\*] 1927 के अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा लोप किया गया।
22. **प्रशमन विलेख**, अर्थात्, किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत, जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन—धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए, चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है। एक सौ रूपए।
23. **हस्तांतरण—पत्र**, धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित, जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है, जहां हस्तान्तरण से, स्थावर सम्पत्ति का विक्रय होता है। सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यक्षीन जो भी अधिक हो, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

### छूट

**प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम.—** 1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन।  
**सह—भागीदारी—विलेख.—** भागीदारी (संख्या 46) देखें।

### टिप्पण

#### सम्पत्ति का हस्तान्तरण—पत्र

निवर्तन और विघटन के मामले में कोई विभेद नहीं है। भागीदार, भागीदारी के सम्बद्ध में सहस्वामी के रूप में उसी हैसियत से होगा। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती भागीदार के पक्ष में, अधिकार त्यागने वाली फर्म द्वारा निष्पादित दस्तावेज, केवल निर्मोचन ही होगा। यह अंतरण नहीं था क्योंकि यह उस भागीदार, जिस का सम्पत्ति में कोई हित नहीं था, के पक्ष में नहीं बनाया गया है। निष्पादित दस्तावेज सम्पत्ति का अंतरण नहीं करता है, अतः यह हस्तांतरण पत्र नहीं था।

- 23(क) **भागिक—पालन के स्वरूप में हस्तांतरण**, जैसा अनुसूची—1 में है।  
 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53—क के

- अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र में भागिक-पालन के स्वरूप में स्थावर सम्पत्ति के अंतरण हेतु संविदाएं।
24. **प्रति या उद्धरण**, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी दस रूपए। द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है,

प्रत्येक मामले में,

### छूटें

- (क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि, जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे।
- (ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह-विच्छेदों, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें से किसी उद्धरण की प्रतिलिपि।
25. प्रत्येक मामले में, किसी लिखत का, जो शुल्क से प्रभार्य दस रूपए। है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, का प्रतिलेख या दूसरी प्रति।

### छूट

कृषकों को किए गए किसी पट्टे का प्रतिलेख, जब कि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।

### टिप्पण

- क्या संदेय स्टाम्प शुल्क प्रतिलेख पर संदेय है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 25 साधारणतया प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर संदेय स्टाम्प शुल्क के बारे में है। अतः किसी अस्थापित प्रतिलेख को उचित स्टाम्प शुल्क के और उस पर शास्ति के संदाय द्वारा, विधिमान्य बनाया जा सकेगा।
26. **सीमा शुल्क बंध-पत्र**, एक सौ रूपए। प्रत्येक मामले में।
27. **डिबेंचर**, (चाहे वह बन्धक डिबेंचर हो या नहीं) विपण्य प्रतिभूति होते हुए जो—

(क) पृष्ठांकन द्वारा अंतरण की पृथक लिखत द्वारा, जैसा अनुसूची-1 में है। अन्तरणीय है वहाँ;



**स्पष्टीकरण-** “डिबेंचर” पद के अन्तर्गत उससे संलग्न कोई ब्याज के कूपन हैं, किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के प्राक्कलन करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

### छूट

ऐसा डिबेंचर, जिसे किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसे रजिस्ट्रीकृत बंधक-विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की, जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं, पूरी रकम की बाबत सम्यक् रूप से स्ताम्पित है, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी या निकाय, अपनी संपत्ति, पूर्णतः या भागतः डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है; परन्तु इस प्रकार निर्गमित डिबेंचरों की बाबत यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वे उक्त बन्धक-विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किए गए हैं।

बंध पत्र (संख्या 15) तथा धारा 8 और 55 देखें।  
किसी न्यास की घोषणा न्यास (संख्या 64) देखें।

28. **माल की बाबत परिदान-आदेश।** एक सौ रूपए।

हक विलेखों का निक्षेप, हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें।  
**भागीदारी का विघटन-** भागीदारी (संख्या 46) देखें।

29. **विवाह विच्छेद,** की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, एक सौ रूपए।  
जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।

**महर की लिखत-**व्यवस्थापन (संख्या 58) देखें।

**दूसरी प्रति-** प्रतिलेख (संख्या 25) देखें।

30. **उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटर्नी के रूप में प्रविष्टि,** एक हजार रूपए।

अधिवक्ता या वकील या अटर्नी के मामले में।

### छूट

किसी उच्च न्यायालय की नामावली में किसी अधिवक्ता, वकील या अटर्नी की प्रविष्टि जब कि वह पहले से ही किसी उच्च न्यायालय में अभ्याविष्ट है।

31. **सम्पत्ति के विनिमय की लिखत।** विनिमय की गई सम्पत्ति के

उच्चतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

**उद्धरण—** प्रतिलिपि (संख्या 24) देखें।

32. अतिरिक्त भार की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो बन्धक सम्पत्ति पर भार अधिरोपित करती है—

(क) यदि, अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय सम्पत्ति का कब्जा, ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिए जाने का करार किया गया है ; सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए, जो भी उच्चतर हो, के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(ख) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

33. दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (संख्या 58) या वसीयत (विल) या अंतरण (संख्या 62) नहीं है।

सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

**भाड़ा सम्बंधी करार या सेवा के लिए करार—** करार (संख्या 5) देखें।

34. क्षतिपूर्ति बंधपत्र,

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रूपए।

**निरीक्षकत्व—विलेख—** प्रशमन विलेख (संख्या 22) देखें।

35. पट्टा, जिस के अंतर्गत अवर—पट्टा या उप—पट्टा तथा पट्टे या उप—पट्टे पर देने के लिए कोई करार है—

पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(क) जहां पट्टा एक सौ वर्ष या एक सौ वर्ष से अधिक तात्पर्यित हो ;

पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के लिए फार्मूला:-

$$\frac{5\% \times \text{बाजार मूल्य}}{\text{की अवधि}} \times (\text{पट्टे की अवधि}) 100$$

(ख) जहां पट्टा शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है तथा किसी नियत निबंधन और समय के लिए तात्पर्यित नहीं है।

पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 5.00 प्रतिशत या पट्टे की पूर्ण रकम, जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त करनी हो, यदि कोई हो, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, जो भी उच्चतर हो तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

### छूट

खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजन के लिए पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक, एक सौ रूपए से अधिक नहीं है।

इस छूट में खेती के प्रयोजन के लिए पट्टा में वासभूमि या टैंक सहित, खेती के लिए भूमि का पट्टा भी सम्मिलित होगा।

**स्पष्टीकरण—** जब पट्टाधारी कोई आवर्ती प्रभार, जैसे सरकारी राजस्व, भू-स्वामी के उप-कर का भाग या स्वामी के नगरपालिका की दरों या करों का भाग, जो विधि द्वारा पट्टाकर्ता से वसूलीय है, संदाय करने का वचन देता है, तो इस प्रकार करार की गई रकम पट्टाधारी द्वारा संदत्त की जाएगी, जो भाटक का भाग समझी जाएगी।

### टिप्पणी

क्या भाड़े का कोई करार, पट्टा होगा, अनुच्छेद 35 उपदर्शित करेगा कि यह केवल पट्टा ही नहीं है, जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत है किन्तु भाड़े पर देने का कोई करार भी है। भाड़े के किसी करार का पट्टा होना आवश्यक नहीं है। यह निर्धारण करने के आशय से, कि क्या किसी दिए हुए मामले में करार की विधिमानता का अनुमान करना युक्ति-युक्त है, तो हमें यह देखना है कि

क्या किसी पक्षकार ने प्रस्ताव किया है और दूसरे पक्षकार ने इसे प्रतिग्रहण कर लिया है। किसी करार को करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों का आशय निश्चित तथा सामान्य हो। यह तभी अभिप्राप्त किया जा सकता है जब करार के निबन्धन और शर्तें सुस्पष्टता की गई हों या विवक्षित पाई गई हों।

36. **शेयरों का आवंटन पत्र।** दस रुपए।
37. **प्रत्यय-पत्र।** जैसा अनुसूची-1 में है।  
प्रत्याभूति-पत्र, करार (संख्या 5) देखें।
38. **अनुज्ञप्ति पत्र, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलम्बित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।** पचास रुपए।
39. **कम्पनी का संगम-ज्ञापन,**  
(क) यदि उसके साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 26, 27 और 28 के अधीन संगम-अनुच्छेद संलग्न हो ; एक सौ रुपए।  
(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो। दो सौ रुपए।

### छूट

किसी भी संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

40. **बन्धक-विलेख,** जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्, या गिरवी (संख्या 6), पोत बंधपत्र (संख्या 16), फसल का बंधक (संख्या 41), जहाजी माल बन्धपत्र (संख्या 56) या प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहीं है;
- (क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है; सम्पत्ति का बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 5.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यक्षीन, जो भी उच्चतर हो, तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
- (ख) जबकि कब्जा नहीं दिया गया है। प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के

अध्यधीन तथा शुल्क दस  
रुपए के निकटतम तक  
पूर्णांकित।

**स्पष्टीकरण—** ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा—राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।

### छूट

वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम, 1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई हैं।

### टिप्पणी

**शपथपत्र बचनबंध करने को, क्या बन्धक—विलेख के रूप में प्रभारित किया जा सकेगा—** शपथपत्र बचनबंध करने को, बन्धक—विलेख के रूप में प्रभारित करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम की अनुसूची—1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा विहित स्टांप शुल्क भुक्त होगा। अतः उक्त अधिनियम की अनुसूची—1 का अनुच्छेद 40 ही तत्काल मामलों में लागू समुचित अनुच्छेद है और न कि अनुच्छेद 57।

41. **फसल का बन्धक**, जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के बन्धक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्षित करती है, चाहे बन्धक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो—

प्रत्येक प्रतिभूत रकम के लिए।

प्रतिभूत रकम का  
0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक  
सौ रुपए और अधिकतम  
एक हजार रुपए तथा शुल्क  
दस रुपए के निकटतम तक  
पूर्णांकित।

42. **नोटरी सम्बन्धी कार्य**, अर्थात् , कोई ऐसी लिखत, दस रुपए।  
पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो  
प्रसाक्ष्य (संख्या 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा  
अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य  
व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य  
करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है।

विपत्र या वचन—पत्र का प्रसाक्ष्य (संख्या 50) भी देखें।

43. **टिप्पण या ज्ञापन**, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे, निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है—

ऐसे किसी माल या किसी स्टॉक या विषय प्रतिभूति का। पचास रूपए।

44. **पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण।** दस रूपए।

45. **विभाजन की लिखत**, धारा 2(15) द्वारा यथा परिभाषित। सम्पत्ति जिसका विभाजन हो रहा है, के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

46. **भागीदारी,**

क. भागीदारी की लिखत—  
भागीदारी की प्रत्येक पूंजी के लिए। दो सौ रूपए।

ख. भागीदारी का विघटन— पचास रूपए।

**पण्यम् या गिरवी—** हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें।

47. **बीमा पालिसी।** जैसा अनुसूची-1 में है।

48. धारा 2 (21) में यथापरिभाषित, मुख्तारनामा, जो प्रॉक्सी (संख्या 52) नहीं है—

(क) जबकि वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को, अकेले प्रयोजन (जिसमें दावा या कार्यवाहियां भी हैं) के लिए एक ही संव्यवहार में संयुक्ततः और पृथकतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है। एक सौ रूपए।

(ख) जबकि वह एक या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है। एक सौ पचास रूपए।

(ग) अन्य किसी मामले में। दो सौ रूपए।

**भली-भांति ध्यान दें—**  
“रजिस्ट्रीकरण” पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

**स्पष्टीकरण—** एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।

49. **वचन—पत्र।** जैसा अनुसूची-1 में है।
50. **विनियम—पत्र या वचन—पत्र विषयक प्रसाक्ष्य,** अर्थात् दस रुपए।  
नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनियम—पत्र या वचन—पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है।
51. **पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति।** जैसा अनुसूची-1 में है।
52. **प्रॉक्सी।** जैसा अनुसूची-1 में है।
53. **रसीद।** जैसा अनुसूची-1 में है।
54. **बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण,**  
प्रत्येक मामले में। एक सौ रुपए।
55. **निर्मुक्ति.—** अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23—क द्वारा उपबन्ध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है—  
प्रत्येक मामले में। निर्मुक्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यक्षीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

### टिप्पणियां

**क्या निर्मुक्ति विलेख से हक का अंतरण हो सकेगा.—**किसी निर्मुक्ति विलेख द्वारा हक का अंतरण प्रभावी नहीं होगा। निर्मुक्ति विलेख से केवल हक का प्रदाय हो सकता है, किन्तु हक अन्तरित नहीं हो सकता।

**त्यजन या त्याग.—**यदि अपीलकर्ता के पास, उसके

पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पदा की उत्तरजीविता के द्वारा उत्तराधिकार की संभावना न होने के सिवाय, त्याग के समय पर सम्पत्ति का हक नहीं है, तो विलेख के अधीन त्यजन या त्याग उसे सम्पत्ति का कोई हक नहीं दिलाएगा। त्यजन उसी व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए, जिसका ऐसी सम्पदा पर पहले से हक था, जिसका प्रभाव केवल अधिकार को बढ़ाने का है।

56. जहाजी माल बन्धपत्र, अर्थात् , कोई लिखत, जो उस उधार के लिए प्रतिभूति देती है, जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाक्षित है। प्रतिभूत की गई रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

किसी न्यास या व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण— व्यवस्थापन (संख्या 58), न्यास (संख्या 64) देखें।

57. प्रतिभूति—बंधपत्र या बन्धक विलेख, जो किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा—जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है—

प्रत्येक मामले में।

प्रतिभूत रकम का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

छूटें

(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय ;डिसपैन्सरी या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में ;



(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।

### टिप्पणी

**शपथ—पत्र वचनबद्ध करना—क्या बन्धक विलेख होगा.**—शपथ—पत्र वचनबद्ध बन्धक—विलेख के रूप में प्रभारित होगा, जिसको भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा—विहित स्टाम्प शुल्क मुक्त करना होगा। यह कहना सही नहीं था कि शपथ—पत्र केवल वचनबद्ध दर्शाता है और यदि यह प्रभार्य था, तो यह केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 57(ख) के अधीन ही हो सकता था।

#### 58. व्यवस्थापन—

**क—** व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अन्तर्गत महर विलेख है)

व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रूपए और अधिकतम एक हजार रूपए के अध्यक्षीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

### छूट

विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख।

**ख.—** व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण—

पचास रूपए।

**न्यास—** (संख्या 64) भी देखें।

#### 59. शेयर वारंट—वाहक के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गमित।

वही शुल्क, जो सकब्जा बंधक विलेख 40(क) पर, वारण्ट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर के लिए संदेय है।

### छूटें

शेयर अधिपत्र, जबकि वह किसी कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 114 के अनुसरण में निर्गमित किया गया है, स्टाम्प राजस्व कलेक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन—धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी

कर दी जाने पर, प्रभावी होगा—

(क) कम्पनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत ;  
या

(ख) यदि कोई कम्पनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन—धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करती है, तो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत।

60. पोत परिवहन आदेश।

दस रुपए।

61. पट्टे का अभ्यर्पण,

प्रत्येक मामले में।

एक सौ रुपए।

### छूट

पट्टे का अभ्यर्पण, जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई है।

62. अन्तरण, (चाहे वह प्रतिफल के सहित या बिना हो)—

(क) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में जैसा अनुसूची—1 में है।  
के शेयरों का ;

(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिए डिबेंचर दायी हो या न हो ;  
वही शुल्क जो डिबेंचर पर अंकित रकम के बराबर प्रतिफल हेतु इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद (संख्या 27) में उद्गृहीत है।

(ग) किसी हित का बन्धपत्र, बन्धक—विलेख या बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूत ;  
वही शुल्क जो ऐसे बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पॉलिसी पर प्रभावी है, न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

(घ) महाप्रशासक अधिनियम, 1913 की धारा 25 के अधीन किसी सम्पत्ति का अंतरण ;  
एक सौ रुपए।

(ङ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से दो सौ रुपए।

हिताधिकारी को, किसी न्याय-सम्पत्ति का प्रतिफल के बिना।

### छूटें

पृष्ठांकन द्वारा अंतरण—

(क) विनिमय-पत्र, चैक या वचन-पत्र का ;

(ख) वहन-पत्र परिदान आदेश, माल के लिए वारण्ट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का ;

(ग) बीमा पॉलिसी का ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का।

धारा 8 भी देखें।

63. पट्टे का अंतरण, समनुदेशन द्वारा न कि उपपट्टे द्वारा। वही शुल्क, जो ऐसे अंतरण हेतु उसी रकम के लिए इस अनुसूची द्वारा अनुच्छेद (संख्या 35) में उद्गृहीत है।

### छूट

शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण।

64. न्यास,

क. की घोषणा किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, दो सौ रूपए। जबकि वसीयत (विल) से भिन्न लिखित रूप में की गई हो।

ख. का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, पचास रूपए। जबकि वह वसीयत (विल) से भिन्न किसी लिखित के रूप में किया गया हो।

व्यवस्थापन (संख्या 58) भी देखें,

मूल्यांकन—आंकना (संख्या 8) देखें,

वकील—वकील के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।

### टिप्पणी

धार्मिक या पूर्त विन्यास— क्या न्यास अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, धार्मिक या पूर्त विन्यास, चाहे सार्वजनिक या निजी हैं, न्यास अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आते हैं। स्टाम्प अधिनियम का अनुच्छेद 64, न्यास पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का उपबन्ध करता है। तदनुसार, उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता जो पूर्त न्यासों का निपटारा करते हैं।

65. माल के लिए वारण्ट, अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो दस रूपए। उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की सम्पत्ति के हक

का साक्ष्य है, जो किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विभिन्न लिखतों की बाबत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरें, हस्तांतरण/विक्रय, सकब्जा बंधक तथा दान के सिवाए वर्ष 1970 में पुनरीक्षित की गई थीं। आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने इस ओर विभिन्न कदम उठाए हैं। यह भी आवश्यक समझा गया है कि स्टाम्प शुल्क की दरों में बढ़ौतरी की जाए क्योंकि गत चार दशकों से बहुत सी लिखतों की बाबत दरें पुनरीक्षित (संशोधित) नहीं की गई हैं। इसके अलावा, स्टाम्प शुल्क की दरों में प्रस्तावित बढ़ौतरी के अन्य कारण भी हैं, जैसे रूपए का अवमूल्यन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इत्यादि। इसके अतिरिक्त विद्यमान दरों में से कुछेक दरें, पैसा में हैं जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 25 (पच्चीस) पैसे के अभिदान (अंकित मूल्य) तक की मुद्रा के परिचालन को रोक दिया गया है। इसलिए, शुल्क को दस रूपए के निकटतम पूर्णांकित करने हेतु भी प्रस्तावित किया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ संलग्न हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू विद्यमान अनुसूची 1-A को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर गुलाब सिंह)  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:  
तारीख: 2012

---

### वितीय ज्ञापन

इस विधेयक का खण्ड 2 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ संलग्न अनुसूची 1-A में यथा प्रगणित भिन्न-भिन्न लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों को बढ़ाने के लिए है। इससे राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रूपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी और कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

---

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या. रैव. 1-9 (स्टाम्प)-3/79/2010-II)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

Bill No. 43 of 2012

**THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)  
BILL, 2012**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2012. Short title.

2. In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, for Schedule I-A annexed to the said Act, the Schedule hereinafter annexed to this Act shall be substituted. Substitution of  
Schedule I-A.

37 of 1976  
19 of 1978  
11 of 1991

3. (1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1976, the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1978 and the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1991 are hereby repealed. Repeal and  
savings.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Acts so repealed under sub-section (1), shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of this Act.

## SCHEDULE I-A

### RATES OF STAMP DUTY ON CERTAIN INSTRUMENTS

*Note.*— The Articles in Schedule I-A are numbered so as to correspond with similar Articles in Schedule I, of the Indian Stamp Act, 1899.

<i>Art. No.</i>	<i>Description of Instrument</i>	<i>Rates of Stamp Duty</i>
1.	<b>Acknowledgement of a debt.</b> —exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt, in any book (other than a Banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession:  Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debtor any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	Ten rupees.
2.	<b>Administration Bond.</b> —including a bond given under section 6, of the Government Savings Bank Act, 1873, or section 29, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925-in every case.	One hundred rupees.
3.	<b>Adoption-Deed.</b> — that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption, or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	One hundred rupees.
4.	<b>Advocate.</b> — <i>See</i> Entry as an Advocate (No. 30). <b>Affidavit.</b> — including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed affirming or	Ten rupees.

declaring instead of swearing.

*Exemptions*

Affidavit of declaration in writing when made—

- (a) as a condition or enrolment under the Army Act, 1950; or Air Force Act, 1950;
- (b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any Court; or
- (c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.

5. **Agreement or Memorandum of an Agreement.**—if Fifty rupees.  
relating to the sale of a bill of exchange or sale of a government security or share in any incorporated company or other body corporate or not otherwise provided for.

*Exemptions*

Agreement or memorandum of agreement—

- (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43;
- (b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan.

**Agreement to Lease.**— See Lease (No. 35).

6. **Agreement relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge.**— that is to say any instrument evidencing an agreement relating to—

deposit of title-deeds or instrument constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) or the pawn or pledge of movable property where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.	0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.
--	---

*Exemption*

Instrument of pawn or pledge of goods if unattested.

**Comments**

**An agreement of hypothecation and question of stamp duty.**—There is distinction between a transaction of hypothecation and a transaction of pledge. Because unlike a pledge where

the possession of the goods pledged must pass on to the pawnee, no such possession passes on to the creditor in case of hypothecation. As the document in the present case, sought to create two rights in favour of the Bank, i.e. one pertaining to hypothecation of the property and the other pertaining to creation of attorneyship a total stamp of Rs. 11.50 was chargeable to in respect of the document under section 5 of the Stamp Act. Thus the document has been duly stamped being neither a pledge nor a pawn but an agreement of hypothecation covered by Cl. (e) of Art. 5 of Schedule-I to the Stamp Act with a covenant to confer rights of an attorney of the defendant on the plaintiff.

**Deed of Pawn or Pledge.**—There is no dispute between the parties, and rightly so, because even on a plain reading of Cl. 6 of the agreement it transpires that the possession of the goods hypothecated was to remain with the debtor itself. That being so, this deed cannot be held to be a deed of pawn or pledge so as to attract the mischief of Art. 6(2) of Schedule-I to the Stamp Act.

7. **Appointment in execution of a Power.**—whether of trustees or of property movable or immovable, where made by any writing not being a Will. One hundred rupees.

8. **Appraisement or Valuation.**—made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit—  
in every case. Fifty rupees.

*Exemptions*

- (a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or of operation of law.
- (b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.
9. **Apprenticeship-Deed.**— including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being articles of clerkship (No. 11). As in Schedule-I.

*Exemption*

Instruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by which a person is apprenticed by or at the charge of,



any public charity.

**10. Articles of Association of a Company.—**

in every case.

Two hundred rupees.

*Exemption*

Articles of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

See also Memorandum of Association of a Company (No. 39).

**11. Articles of Clerkship.—**

As in Schedule-I.

**Assignment.—** See Conveyance (No. 23) Transfer (No. 62) and Transfer of Lease (No. 63), as the case may be.

**Attorney.—** See Entry as an Attorney (No. 30), and Power of Attorney (No. 48).

**Authority to Adopt.—** See Adoption-Deed (No. 3).

**12. Award.—** that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit—

for every amount or value of the property as set forth in such award. Five hundred rupees.

**13. Bill of Exchange.—**

As in Schedule-I.

**14. Bill of Lading (including a through bill of lading).—**

As in Schedule-I.

**15. Bond.—** as defined by section 2(5), not being a debenture (No. 27), and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

See Administration Bond (No.2), Bottomry Bond (No.16), Custom Bond (No.26), Indemnity Bond (No.34), Respondentia Bond (No.56), Security Bond (No.57).

*Exemption*

Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a charitable dispensary or hospital or to any other object of public utility, shall

not be less than a specified sum per mensem.

16. **Bottomry Bond.**— that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on a security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage. 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.
17. **Cancellation.**—Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled) if attested and not otherwise provided for. Fifty Rupees.
- See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-A), Surrender of Lease (No. 61), Revocation of Trust (No. 64-B).*
18. **Certificate of Sale.**— (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer. 5.00% of the market value of the property or to the amount of purchase money, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.
19. **Certificate or other Document.**— evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body. Ten rupees.
20. **Charter Party.**— that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the Charterer, whether it includes a penalty clause or not. Ten Rupees.
21. **Cheque.**— [\*\*\*\*]. Omitted by Act No. 5 of 1927.
22. **Composition-Deed.**— that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors. One hundred rupees.

23. **Conveyance.**— as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 62-

where the conveyance amounts to sale of immovable property.

5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

*Exemption*

**Assignment of copyright.**— under the Copyright Act, 1957, Section 18.

**Co-partnership-deed.**—See Partnership (No. 46).

**Comments**

**Conveyance of Property.**—There is no difference between a case of retirement and that of dissolution. A partner stands on the same footing in relation to partnership as a co-owner. In the present case the document executed by the firm relinquishing the rights in favour of the former partner could only be a release. It was not a transfer having not been made in favour of a partner who had no interest in the property. The document executed does not transfer property; hence it was not a conveyance.

- 23(A) **Conveyance in the Nature of Part Performance.**— As in Schedule-I.  
Contracts for the transfer of immovable property in the nature of part performance in any Union territory under section 53 A of the Transfer of Property Act, 1882.
24. **Copy or Extract.**— certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees, in every case. Ten rupees.

*Exemptions*

- (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.
- (b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.

25. **Counterpart or Duplicate.**— of any instrument Ten rupees.

chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid, for every case.

*Exemption*

Counterpart of any lease granted to a cultivator, when such lease is exempted from duty.

**Comments**

**Whether the stamp duty payable is payable on a counterpart.**—Article 25 of the First Schedule to the Indian Stamp Act simply states the stamp duty payable on a counterpart or on a duplicate. Hence, an unstamped counterpart can be validated by payment of proper stamp duty and penalty therefor.

**26. Customs-Bonds.—**

in every case.

One hundred rupees.

**27. Debenture.—** (where a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable-

(a) by endorsement or by a separate instrument of transfer;

As in Schedule-I.

(b) by delivery.

As in Schedule-I.

*Explanation.*— The term “Debenture” includes any interest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.

*Exemption*

A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part their property to trustees for the benefit of the debenture holders; provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed.

See also Bond (No.15) and sections 8 and 55.  
Declaration of any trust—See Trust (No.64).

**28. Delivery Order in respect of Goods.—**

One hundred rupees.

**Deposit of Title-Deeds-** See Agreement Relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6).

**Dissolution of Partnership-** See Partnership (No.46).

**29. Divorce, Instrument of.—** that is to say, any instruments by which any person effects the dissolution of his marriage.

One hundred rupees.

**Dower, Instrument of-** *See* Settlement (No. 58).

**Duplicate-** *See* Counterpart (No. 25).

**30. Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the Roll of the High Court.—**

in the case of an Advocate or Vakil or an Attorney. One thousand rupees.

*Exemption*

Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court.

**31. Exchange of Property, Instrument of**

0.05% of the higher value of exchanged property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

**Extract-** *See* Copy (No.24).

**32. Further Charge, Instrument of.—** that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property-

(a) if at the time of execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument; 5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(b) if possession is not so given. 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

**33. Gift, Instrument of.—** not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62). 5.00% of the market value of the property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

**Hiring Agreement or Agreement for Service.—** *See* Agreement (No. 5).

**34. Indemnity Bond.—**

in every case.

One hundred rupees.

**Inspectorship-Deed.—** See Composition-Deed (No. 22).

**35. Lease.—** including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sublet-

5.00% of the market value of the leased property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(a) where the lease purports upto one hundred years or exceeding hundred years;

Formula for calculating the stamp duty on Lease Deeds :-

$$\frac{5\% \times \text{Market Value} \times (\text{Period of Lease})}{100}$$

(b) where the lease purports in perpetuity and does not purport to be for any definite term and time.

5.00% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, "whichever is higher," subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.

*Exemption*

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank.

*Explanation.—* When a lessee undertakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the land-lords share of cesses, or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

### Comments

- Any agreement to let-Whether amounts to a lease.-** Article 35 would indicate that it is not only a lease which is covered by this Article, but also any agreement to let. An agreement to let need not be a lease. In order to determine whether in any given case, it is reasonable to infer the existence of agreement one has to see if one party has made an offer and the other party has accepted the same. To constitute an agreement, it is necessary that the intention of the parties must be definite and common on both. This can be achieved if the terms and conditions are expressly arrived at or could impliedly be found.
36. **Letter of Allotment of Shares.-** Ten rupees.
37. **Letter of Credit.-** As in Schedule-I.
- Letter of Guarantee.- See Agreement (No.5).**
38. **Letter of License.-** that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion. Fifty rupees.
39. **Memorandum of Association of a Company.-**
- (a) if accompanied by articles of association under sections 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956; One hundred rupees.
- (b) if not so accompanied. Two hundred rupees.
- Exemption*
- Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.
40. **Mortgage-Deed.-** not being an agreement relating to deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41), Respondentia Bond (No. 56), or Security Bond (No. 57),-
- (a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given; 5.00% of the market value of the property or consideration amount, "whichever is higher", subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.
- (b) when possession is not given. 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one

hundred and maximum  
rupees one thousand  
and duty rounded off to  
nearest rupees Ten.

*Explanation.*- A mortgagor who gives to the mortgagee a Power-of-Attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article.

#### *Exemption*

Instrument, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances.

#### **Comments**

**Undertaking affidavit whether could be charged as a mortgage-deed.**— The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. Thus Art. 40 and not Art. 57 of Schedule-I to the said Act is the appropriate article applicable to the instant case.

41. **Mortgage of a Crop.**— including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-

for every sum secured.

0.05% of the secured  
amount, subject to the  
minimum of rupees one  
hundred and maximum  
rupees one thousand  
and duty rounded off to  
nearest rupees Ten.

42. **Notarial Act.**— that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.

Ten rupees.

- See also Protest of bill or note (No. 50).  
43. **Note or Memorandum.**— sent by a broker or agent to his principal, the purchase or sale on account of such principal-

of any goods or of any stock or marketable Fifty rupees.



security.

44. **Note of Protest by the Master of a Ship.**— Ten rupees.
45. **Partition.**— Instrument of as defined by section 2(15). 0.05% of the market value of the property being partitioned subject to the minimum of rupees one hundred and maximum of rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.
46. **Partnership.**—
- A. Instrument of-  
for every capital of the partnership. Two hundred rupees.
- B. Dissolution of- Fifty rupees.
- Pawn or Pledge.**— *See* Agreement relating to Deposit of Title-Deed, Pawn or Pledge (No.6).
47. **Policy of Insurance.**— As in Schedule-I.
48. **Power of Attorney.**— as defined by section 2(21), not being a Proxy (No. 52),-
- (a) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in a single transaction for sole purpose (including suit or proceedings); One hundred rupees.
- (b) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally; One hundred and fifty rupees.
- (c) in any other case. Two hundred rupees.
- N.B.- The term "registration" includes every operation, incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908.
- Explanation.*-For the purposes of this article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.
49. **Promissory Note.**— As in Schedule-I.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 50. | <b>Protest of Bill or Note.</b> — that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or Promissory Note.                | Ten rupees.  |
| 51. | <b>Protest by the Master of a Ship.</b>  | As in Schedule-I.  |
| 52. | <b>Proxy.</b>  | As in Schedule-I.  |
| 53. | <b>Receipt.</b>  | As in Schedule-I.  |
| 54. | <b>Re-Conveyance of Mortgaged Property.</b> —<br><br>in every case.  | One hundred rupees.  |
| 55. | <b>Release.</b> — that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property-<br><br>in every case. | 0.05% of the market value of the released property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |

#### Comments

**A release deed-whether can transfer title.-** A release deed would not be effective to transfer title. A release deed can only feed title but cannot transfer title.

**Renunciation or relinquishment.-** If the appellant had no title to the property at the time of renunciation except the off-chance of succeeding by survivorship to the estate after the death of his father, the renunciation or relinquishment under the deed would not clothe him with any title to the property. Renunciation must be in favour of a person, who had already title to the estate, the effect of which is only to enlarge the right.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 56. | <b>Respondentia Bond.</b> — that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination. | 0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. |
|-----|--|---|

**Revocation of any Trust or Settlement.**— See Settlement (No.58), Trust (No.64).

57. **Security-Bond or Mortgage Deed.**— executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability—

in every case.

0.05% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

*Exemption*

Bond or other instrument when executed—

- (a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem;
- (b) by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturist's Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances;
- (c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.

**Comments**

**Undertaking affidavit-Whether amounts to a mortgage deed.**—The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. It was not correct to say that the affidavit merely disclosed an undertaking and if at all it was chargeable it could be only under Art. 57 (b) of Schedule-I to the Indian Stamp Act.

58. **Settlement.**—

A-Instrument of (including a deed of dower).

0.05% of the market value of the settled property, subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

*Exemption*

Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans.

B-Revocation of-

Fifty rupees.

*See also* Trust (No. 64).

- 59. Share Warrants.**— to bearer issued under the Companies Act, 1956. The same duty as payable on a mortgage deed with possession [40(a)] for the amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.

*Exemptions*

Shares warrant when issued by a company in pursuance of the Companies Act, 1956, section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of stamp-revenue of-

- (a) one-and-a-half percentum of the whole subscribed capital of the company; or
- (b) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues an addition to its subscribed capital-one-and-a-half percentum of the additional capital so issued.

- 60. Shipping Order.**— Ten rupees.

- 61. Surrender of Lease.**—

in every case.

One hundred rupees.

*Exemption*

Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.

- 62. Transfer.**— (whether with or without consideration)-

- (a) of shares in an incorporated company or other body corporate; As in Schedule-I.
- (b) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8; The same duty as Debenture (No.27) as levied by this Act, for a consideration equal to the face amount of the debenture.
- (c) of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance; The same duty with which such bond, mortgage-deed or

policy of insurance is chargeable subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

(d) of any property under the Administrator-General's Act, 1913, Section 25; One hundred rupees.

(e) of any trust-property without consideration from one trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary. Two hundred rupees.

*Exemption*

Transfers by endorsement—

(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;

(b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods;

(c) of a policy of insurance;

(d) of securities of the Central Government.

See also section 8.

**63. Transfer of Lease.**— by way of assignment, and not by way of under lease. The same duty as Article (No. 35) as levied by this Schedule, for the same amount of such transfer.

*Exemption*

Transfer of any lease exempt from duty.

**64. Trust.**—

A. Declaration of-of, or concerning any property when made by any writing not being a Will; Two hundred rupees.

B. Revocation of-of, or concerning any property when made by any instrument other than a Will. Fifty rupees.

See also Settlement (No. 58), Valuation- See Appraisement (No. 8), Vakil-See Entry as Vakil (No. 30).

**Comments**

**Religious or charitable endowment- Whether fall within the purview of the Trusts Act.**- Religious or charitable endowments, whether

public or private, do not fall within the purview of the Trusts Act. Article 64 of the Stamp Act provides for the levy of stamp duty on trust. Accordingly, Art. 64 cannot be pressed into service in case which deals with charitable trusts.

- 65. Warrant for Goods.**— that is to say, any instruments evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be. Ten rupees.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rates of stamp duty in respect of different instruments chargeable under the Indian Stamp Act were revised in the year 1970, except conveyance/sale, mortgage with possession and gift. In order to generate additional resources of income, the State Government has taken various steps in this direction. It has also been considered necessary that rates of stamp duty should be increased, because rates in respect of most of the instrument have not been revised for the last four decade. Moreover there are also other reasons such as devaluation of value of rupee and increase in per capita income etc. for this proposed increase in rates of stamp duty. Further, some of the existing rates are in paisa, whereas, the circulation of currency upto the denomination of twenty five paisa have been stopped by the Reserve Bank of India. Thus, it has also been proposed to round up the duty to nearest rupee ten. As such, it has been decided to substitute the existing Schedule I-A appended to the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of the Himachal Pradesh.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

**(THAKUR GULAB SINGH)**  
*Minister-in Charge.*

SHIMLA:

The ....., 2012.

---

### FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of this Bill seeks to enhance the rates of stamp duty chargeable on different instruments as enumerated in schedule I-A annexed to the Indian Stamp Act, 1899. This will yield approximately 2.00 Crores per annum additional revenue to the State exchequer and there will be no additional expenditure.

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE  
207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

**(File No. Rev.1-9(Stamp)3/79/2010-II.)**

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2012, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.